तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री /टी0ए0/1078/2005/भरतपुर जवाहर सिंह बनाम श्रीकिशन व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.08.2022	**खण्डपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **श्री रवि डांगी, सदस्य** **उपस्थित** श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अपीलांटस श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक रेस्पो0 **निर्णय** यह अपील डिक्री अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर दिनांक 04.03.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट/वादि ने परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरूद्ध रेस्पो0/प्रतिवादी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि साबिक खसरा नं0 1657 रकबा 01–05–00 हाल खसरा नंबर 2369 रकबा 0.24 एअर वाके ग्राम सावौरा तहसील कुम्हेर से तात्कालीन मालिक रेस्पो0/प्रतिवादीगण के पिता फत्ते व उसका भाई मिश्रीलाल थे जिन्होने अपीलांट/ वादिनी के पति भगवत को विवादित आराजी को काश्त के लिए पट्टे पर सम्बत् 2018 में दी थी तभी से मृतक भगवत पत्नी अपीलांट/वादिनी ताजिन्दगी काश्त करता रहा तथा उनकी मृत्यु के बाद अपीलांट/वादिनी काबिज होकर काश्त कर रही है जिसे कानूनी अधिकार प्राप्त हो चुके है मगर रेकॉर्ड में अपीलांट/वादिनी को बहैसियत शिकमी व रेस्पो0/प्रतिवादिगण को खातेदार दर्ज कर रखा है जो गलत है । इस गलत इन्द्राज के आधार पर रेस्पो0/प्रतिवादीगण,अपीलांट /वादिनी के अधिकारों को चुनौती देते है व तथा जबरन बेदखल	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री /टी0ए0/1078/2005/भरतपुर जवाहर सिंह बनाम श्रीकिशन व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	करने की कोशिश में है। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी/रेस्पो0 को तलब किया गया। दावा और जवाब दावा के आधार पर तीन तनकीयात कायम की गई और तीनों तनकीयात पर विस्तृत विवेचन करते हुए अपीलांट/वादी का दावा दिनांक 31–03–2003 को डिक्री कर दिया। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध रेस्पो0 ने अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिन्हाने अपने निर्णय दिनांक 04–03–2005 से अपील स्वीकार करते हुए परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–2003 अपास्त कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील में सुनी गयी । विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय ने तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश में अनुचित रूप से हस्तक्षेप करते हुए निर्णय पारित किया है, बिना तनकियातों पर फाइंडिग दिए आदेश 41 नियम 31 की पालना कतई नहीं कि गई, इसलिए पारित आदेश इसी आधार पर काबिल निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलांट धारा 63(4) के तहत अपने खातेदारी अधिकार प्राप्त कर चुका है। क्योंकि अपीलांट को वादग्रस्त आराजी से कभी–भी बेदखल नहीं किया है और ना ही अपीलांट के विरूद्ध कभी ऐसी कोई कार्यवाही अमल में लाई गई जबकि अपीलांट अपने दस्तावेजी साक्ष्य से इस बात को प्रमाणित करा जा चुका है कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है, उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करने में अपील न्यायालय ने भारी भूल की है। विद्वान	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री /टी0ए0/1078/2005/भरतपुर जवाहर सिंह बनाम श्रीकिशन व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया है कि धारा 19(2) के तहत मियाद अवधि निकल जाने के पश्चात् घोषणा का वाद लाने के लिए कोई भार नहीं है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि संवत् 2019–22 में वादिनी के पति को शिकमी दर्ज किया हुआ है तथा खातेदार के कॉलम में रेस्पो0 के पिता की प्रविष्टि है। मात्र उक्त संवत में ही शिकमी की प्रविष्टि है इससे पहले कोई इन्द्राज नहीं है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि संवत 2023–26 में काश्त के इन्द्राज मु0 रूमाली बेवा भगवत दर्ज है एवं संवत् 2027–30 में जमाबन्दी में रेस्पो0 के पिता को खातेदार एवं वादिनी को शिकमी दर्ज किया हुआ है जो स्पष्ट रूप से राजस्व कर्मचारीयों के द्वारा गलत दर्ज किया हुआ है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि संवत् 2018 से आराजी को काश्त के लिए पट्टे पर लेना बताया है तथा संवत् 2019 से पूर्व का कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके रेस्पो0 के पिता फत्ते व मिश्रीलाल मालिक दर्ज थे। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि परीक्षण न्यायालय ने तनकी संख्या एक का निर्णय रेस्पो0 के खिलाफ करने में कानूनी भूल की है क्योंकि अपीलांट/वादी का प्रकरण धारा 19(1)एए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का माना है बहस के अंत विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपीलांट की अपील को खारीज करने का निर्णय किया। हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व प्रस्तुत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री /टी0ए0/1078/2005/भरतपुर जवाहर सिंह बनाम श्रीकिशन व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायिक दृष्टांतो का गहनता से परीक्षण किया। इस अपील में वर्णित तथ्यों एवं प्रस्तुत रिकार्ड का पूर्ण विवेचन व विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि विवादित आराजी के संबंध में संबंधित पक्षकारों के मध्य परीक्षण न्यायालय में एक दावा अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विचाराधीन रहा है। इस वाद में प्रस्तुत दावे व जबावदावे के आधार पर तीन तनकीयात का निर्माण किया गया था। परीक्षण न्यायालय द्वारा उनके यहां विचाराधीन दावा में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित किया है। परीक्षण न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित करते हुये वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया है। जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय के विपरीत निर्णय पारित करते हुये अपीलांट की अपील को स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय अपास्त कर दिया। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा विपरीत निर्णय पारित किये जाने पर प्रकरण का तनकीवार परीक्षण कर तनकीवार निर्णय किया जाना चाहिए। आदेश 41 नियम 31 सी0पी0सी0 के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार इस प्रकरण में विपरीत निर्णय की स्थिति में तनकीवार निर्णय किया जाना अपेक्षित था जो नहीं किये जाने से अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसंगत नहीं कहा जा सकता है। परिणामतः अपील अपीलांटस आंशिकरूप से स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.03.2005 अपास्त किया जाता है। मूल ही प्रकरण अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री /टी0ए0/1078/2005/भरतपुर जवाहर सिंह बनाम श्रीकिशन व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये तनकीवार निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर के समक्ष नियत दिनांक ..... को उपस्थिति होवें। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रवि डांगी)** **सदस्य** **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	